आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 361/इंदौर/2024

जिंदल एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, जिंदल नगर, पत्रपाली खरासिया रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएटीजे 5021 ई PAN- AAATJ5021E		

अपीलार्थी की ओर से	श्री शौर्य जैन, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री राम कुमार यादव, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.08.2024
उद्घोषणा तिथि	29.08.2024

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आदेश दिनांक 14.03.2024 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष धारा 80जी के अधीन पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा इस आधार पर खारिज किया था कि उक्त आवेदन आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) में वर्णित समयावधि के बाद दाखिल किया गया है । विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध निर्धारिती ने वर्तमान अपील दाखिल की थी । यद्यपि सीबीडीटी के परिपत्र सं. 7/2024 दिनांक

25.04.2024 में सीबीडीटी ने धारा 80जी(5) के अधीन स्थायी पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तारीख को बढ़ाकर 30.06.2024 किया है और यह भी उल्लिखित किया है कि यदि किसी का आवेदन केवल विलंब से आवेदन दाखिल करने के कारण खारिज किया गया है तो वह भी पुनः आवेदन कर सकता है । उपरोक्त की दृष्टि में निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 80जी(5) के अधीन स्थायी पंजीकरण हेतु पुनः आवेदन दिनांक 04.05.2024 दाखिल किया गया था जिसे आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2024 के द्वारा स्वीकृत किया गया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि निर्धारिती की शिकायत का निराकरण हो गया है अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं तथा इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश दिनांक 29.08.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 29.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल